न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (~~सीकर~~) नीमकाथाना

राजेश बनाम प्रहलाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रार्थना पत्र वाजदायरी मु.नं. - 78/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
25-10-24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 5-11-24 को पेश हो।	
05.11.2024	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र वाजदायरी पत्रावली दिनांक 20.11.2024 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
20.11.2024	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय/आदेश नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र वाजदायरी पत्रावली दिनांक 25.11.2024 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
25.11.2024	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र वाजदायरी हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र वाजदायरी पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अवगत कराया कि प्रार्थीगण वकील प्रकरण की पैरवी कर रहे थे। प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के होने से वकील प्रा[illegible] प्रत्येक तारीख पेशी पर न्यायालय के समक्ष हाजिर आने की आवश्यकता नहीं होने तथा आवश्यकता होने पर बुला लिये जाने बाबत आश्वस्त कर रखा है। उक्त मुकदमा दावा में दिनांक 20.06.2024 को अन्य कोर्ट में व्यस्त होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उक्त वादपत्र व प्रार्थना पत्र टी.आई. दिनांक 20.06.2024 को वकुलाय उभय पक्षकारान् की अनुपस्थिति में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.12.06 13:06:35 IST
Reason: SelfAttested

—लगातार—

संजय बनाम प्रहलाद

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी

प्रा० पत्र [illegible] [illegible] 18/7/2024

हुए है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण को सूचित भी नहीं किया तथा प्रार्थीगण ने अब अपना नया अधिवक्ता नियुक्त कर प्रकरण की जानकारी जुटाने पर प्रकरण की नकल हेतु दिनांक 11.07.2024 को पेश करने पर दिनांक 16.07.2024 को प्राप्त हुई है। प्रकरण दावा अचल सम्पति से सम्बन्धित होकर उद्घोषणा का होने से मेरे हक प्रभावित हो रहे है। अतः ऐसी स्थिति में वाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर मूल वादपत्र व मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण के द्वारा किया गया है। वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अवगत कराया कि वादीगण/प्रार्थीगण को प्रकरण अदम हाजरी में खारिज होने की जानकारी खारीज होने की दिनांक से पूर्ण रूपेण रही है। वकील वादीगण की कमी व उदासीनता की वजह से वादपत्र व्र प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.6.2024 को अदम हाजरी में खारिज हुए है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को पुनः नम्बर पर लिये जाने का कोई प्रावधान कानूनन किसी भी एक्ट में नहीं है। अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पूर्णतः वर्जित है। वकील वादीगण/प्रार्थीगण के पास इस वाजदायरी को स्वीकार किये जाने का कोई आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र वाजदायरी को खारिज फरमाये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में किया है।

हमने बहस वकुलाय ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी मूल वादपत्र व मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के दिनांक 20.06.2024 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने पर न्यायालय में पेश की गई है। वाजदायरी से सम्बन्धित मूल वादपत्र व मूल प्रार्थना [illegible]ाई. में वाजदायरी प्रस्तुतकर्त्ता अधिवक्ता का कोई [illegible] प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता वाजदायरी प्रार्थना पत्र [illegible]ी उपस्थित आये है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वादपत्र अचल सम्पत्ति का होकर उदघोषणा से सम्बन्धित है। जिसको सिद्ध करने का समस्त दायित्व प्रार्थीगण वादीगण का ही होता है। प्रार्थीगण व वकील प्रार्थीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.12.06 13:06:35 IST
Reason: SelfAttested

लगातार-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

संजय बनाम प्रहलाद

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

प्रार्थना पत्र वाजदायरी म.नं. 78/2024

वाद में तारीख पेशी का ज्ञान होने के बावजूद न्यायालय में पेश नहीं होना न्यायालय के प्रति गॅभीर नहीं होने को प्रकट करता है। फिर भी मूल वादपत्र के अचल सम्पत्ति का होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण के प्रति उदार रवैया अपनाते हुए कोस्ट रूपये 1000/– (अक्षरे एक हजार रूपये मात्र) न्यायालय हाजा में जमा करवाने की शर्त पर प्रार्थना पत्र वाजदायरी को स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद पत्र उनवानी संजय कुमार वगै0 बनाम प्रहलाद वगै0 को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाता है। उक्त मूल वाद पत्र को कोस्ट रूपये 1000/– (अक्षरे एक हजार रूपये मात्र) न्यायालय हाजा में जमा करवाने की रसीद प्रस्तुत करने की शर्त पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया जावें। उभय पक्षकारान् वाद पत्र में नियमित सुनवाई हेतु न्यायालय में दिनांक 16.12.2024 को पेश हो। प्रार्थना पत्र वाजदायरी फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.12.06 13:06:35 IST
Reason: SelfAttested